संख्या-60/2015/1740/26-3-2015- (215)/90टी.सी.।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0।
3- निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण उ0प्र0।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जून, 2015

विषयः- शैक्षणिक सत्र 2015-16 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु आवेदन करने से लेकर धनराशि अन्तरण करने हेतु निर्गत समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-878/26-3-2015-4(215)/90-टीसी।।।, दिनांक-25.03.2015, एवं शासनादेश सं0-46/2015/1323/26-3-15-4(358)/07 टीसी।।।, दिनांक-14.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-646/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दि0-04-06-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यकविचारोपरान्त पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कक्षा 11 व 12 एवं ग्रुप 04 के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सभी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग) के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन करने की समय-सीमा दिनांक-15.06.2015 को बढ़ाकर दिनांक-31.07.2015 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश दिनांक-25.03.2015 एवं दिनांक-14.05.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश का शेष अंश यथावत रहेगा।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-60/2015/1740(1)/26-3-2015 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें।

7- गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।